

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

कमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/

भोपाल, दिनांक /04/2013

**-: आदेश :-**

श्रीमति भारती परते, स्टॉफ नर्स, जिला चिकित्सालय हरदा, का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सालय विदिशा किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।


  
संचालक  
चिकित्सा सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/9/नर्सिंग/सेल- 2/13/394

भोपाल, दिनांक 29/04/2013

प्रतिलिपि -सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्प0अधीक्षक, जिला हरदा/विदिशा म.प्र. ।
3. निज सहायक, मान. राज्य मंत्री जी, लोक.स्वा. एवं प.क. विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, सामाजिक न्याय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. संबंधित कर्मचारी श्रीमति भारती परते, स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय विदिशा की ओर पालनार्थ।

  
संचालक 29/4/13  
चिकित्सा सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

कमांक/9/नर्सिंग/सेल-3/2013/

भोपाल, दिनांक /0 /2013

—: आदेश :-

श्रीमति प्रिन्सी सुनीष, स्टॉफ नर्स, जिला चिकित्सालय राजगढ़ का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर जिला चिकित्सालय होशंगाबाद, के अधीन किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

उप संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश


पू.कमांक/9/नर्सिंग/सेल-3/2013

326

भोपाल दिनांक 5/4/2013

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1) संभागीय संयुक्त संचालक, भोपाल संभाग भोपाल।
- 2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला राजगढ़/होशंगाबाद।
- 3) श्रीमती प्रिन्सी सुनीष, स्टॉफ नर्स जिला चिकित्सालय राजगढ़।



उप संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक /9/ नर्सिंग / सेल-2/ 13/

भोपाल दिनांक /6/ 2013

**“आदेश”**

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी की आपसी सहमति से कॉलम क्रमांक 3 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 4 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

| क्र. | नाम कर्मचारी                      | वर्तमान पदस्थापना का स्थान      | स्थानांतरित स्थान का नाम        | स्थानान्तरण का स्वरूप |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1    | 2                                 | 3                               | 4                               | 5                     |
| 1    | श्रीमति नन्दिनी स्वामी स्टाफ नर्स | जिला चिकि. देवास                | सिविल अस्पताल संयोगितागंज इंदौर | स्वयं के व्यय पर      |
| 2    | श्रीमती अनीषा चौहान स्टाफ नर्स    | सिविल अस्पताल संयोगितागंज इंदौर | जिला चिकि. देवास                | स्वयं के व्यय पर      |

1. उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे । इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान वर्तमान पदस्थाना स्थान से नहीं किया जावेगा ।
2. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे ।
3. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./ संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे ।
4. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है ) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
5. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है ।
6. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैक्स के माध्यम से करें ।


संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृकमांक / 9 / नर्सिंग / सेल-2 / 11 / 596

भोपाल दिनांक 25/11/2013

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक चिकित्सा सेवायें/स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर एवं उज्जैन मध्य प्रदेश।
6. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, देवास/इंदौर।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती ।

  
संचालक 25/11/13  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/

भोपाल दिनांक /6/2013

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

| क्र. | नाम<br>कर्मचारी            | पद         | वर्तमान पदस्थापना<br>का स्थान | स्थानांतरित स्थान का<br>नाम | स्थानान्तरण<br>का स्वरूप |
|------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                          | 3          | 4                             | 5                           | 6                        |
| 1    | श्रीमति<br>वैशाली<br>गाडगे | स्टॉफ नर्स | जिला चिकि. देवास              | क्षय चिकि. भोपाल            | स्वयं के<br>व्यय पर      |
| 2    | श्रीमति<br>पुष्पा शर्मा    | स्टॉफ नर्स | क्षय चिकि. भोपाल              | जिला चिकि. सीहोर            | प्रशासकीय<br>आधार पर     |

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैंक्स के माध्यम से करें।

संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश


निरंतर .....

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/538

भोपाल दिनांक 7/6/2013

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यकर विभाग भोपाल।
3. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल।
5. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
6. संचालक चिकित्सा सेवायें/स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
7. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, भोपाल एवं उज्जैन मध्य प्रदेश।
8. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, देवास/सीहोर।
10. अधीक्षक, क्षय चिकित्सालय भोपाल म.प्र.।
11. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
12. आदेश नस्ती।

  
संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

21/6/13

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक /9/नर्सिंग/सेल-1/2013/

भोपाल दिनांक /07/2013

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित कर्मचारी को कॉलम क्रमांक 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम क्रमांक 5 में दर्शाये गये स्थान पर तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

| क्र. | नाम कर्मचारी       | पद         | वर्तमान पदस्थापना का स्थान                    | स्थानांतरित स्थान का नाम | स्थानान्तरण का स्वरूप |
|------|--------------------|------------|---|--------------------------|-----------------------|
| 1    | 2                  | 3          | 4   | 5                        | 6                     |
| 1    | सुश्री नीतू गुप्ता | स्टॉफ नर्स | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोमरिया जिला रीवा | जिला चिकित्सालय सीधी     | स्वयं के व्यय पर      |

- उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे । इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।
- यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिधीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे ।
- संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./ संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संघारित होने/अन्य प्रकरण संघारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे ।
- प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है ) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे ।
- कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है ।
- जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फ़ैक्स के माध्यम से करें ।



संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
4. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.।
5. संचालक चिकित्सा सेवायें/स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, रीवा मध्य प्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, रीवा/सीधी।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नरती।

  
संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

कमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/F-461

भोपाल दिनांक /7/2013

"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमति जोली साजन स्टॉफ नर्स का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर निम्नानुसार किया जाता है -

| क्र. | नाम<br>कर्मचारी         | पद         | वर्तमान पदस्थापना<br>का स्थान | स्थानांतरित स्थान का<br>नाम | स्थानान्तरण<br>का स्वरूप |
|------|-------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                       | 3          | 4                             | 5                           | 6                        |
| 1    | श्रीमति<br>जोली<br>साजन | स्टॉफ नर्स | जिला चिकि. शांजापुर           | जिला चिकि. देवास के<br>अधीन | स्वयं के<br>व्यय पर      |

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैंक्स के माध्यम से करें।

संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

निरंतर .....


//2//

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/F-46/726

भोपाल दिनांक 19/7/2013

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेपी टीप क. 1484 दिनांक 17.7.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. संचालक चिकित्सा सेवायें/स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, उज्जैन मध्य प्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, देवास/शाजापुर।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती 2013।

  
संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

कमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/

भोपाल, दिनांक /7/2013

—: आदेश :-

संचालनालय के आदेश क्र 9/नर्सिंग/सेल 2/11/2137 दिनांक 13.7.12 द्वारा श्रीमती सुमन शर्मा, स्टॉफ नर्स के.एन.के. भोपाल का स्थानान्तरण सामु.स्वा.केंद्र, गेरतगंज जिला रायसेन किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/76।

भोपाल दिनांक 30/7/2013

प्रतिलिपि -सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक भोपाल/रायसेन, मध्यप्रदेश।
5. श्रीमती सुमन शर्मा, स्टॉफ नर्स, भोपाल की ओर पालनार्थ।

  
संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश।

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क.9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 13/2013

भोपाल दिनांक /8/2013

// संशोधित आदेश //

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश के आदेश क0 9/नर्सिंग/सेल 1/एफ. 13/2013/776 दिनांक 2.8.2013 के द्वारा नर्सिंग सिस्टर/हाउस कीपर को मेट्रन के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये थें। उक्त आदेश के सरल क0 19 वरिष्ठता क. 26 पर अंकित श्रीमति जानकी सेन को जिला चिकित्सालय बालाघाट में पदस्थ किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिला बालाघाट के स्थान पर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर पढा जावें। शेष शर्तें पूर्ववत दिये गये निर्देशानुसार रहेगी।

(डॉ. पी.एन.एस. चौहान)


संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 9/नर्सिंग/सेल-1/2013/813

भोपाल, दिनांक 13.8.2013

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, मा0 मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. प्रभारी एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नति आदेश की प्रति स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला नरसिंहपुर/बालाघाट मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
6. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पर दिनांक 20.08.2013 तक कार्यभार ग्रहण करें एवं उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति उपसंचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
7. संबंधित कर्मचारी श्रीमती जानकी सेन, नर्सिंग सिस्टर जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ।
8. निज सहायक/स्वास्थ्य आयुक्त/संचालक चिकित्सा सेवायें /उप संचालक नर्सिंग की ओर सूचनार्थ।
9. आदेश नस्ति।

  
(डॉ. पी.एन.एस. चौहान) 13/8/13

संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/854

भोपाल दिनांक 27/8/2013


"आदेश"

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न स्टॉफ नर्सों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर निम्नानुसार किया जाता है -

| क्र. | नाम<br>कर्मचारी             | पद         | वर्तमान पदस्थापना का<br>स्थान          | स्थानांतरित स्थान का<br>नाम                   | स्थानान्तरण<br>का स्वरूप |
|------|-----------------------------|------------|--|---|--------------------------|
| 2    | 3                           | 4          | 5                                      | 6   |                          |
| 1    | सुश्री<br>दीपमाला<br>बारिया | स्टॉफ नर्स | सामु.स्वा.केंद्र राणापुर<br>जिला झाबुआ | जिला चिकि. झाबुआ                              | स्वयं के व्यय<br>पर      |
| 2    | श्रीमति<br>स्मिता<br>सरकार  | स्टॉफ नर्स | जिला चिकि. शाजापुर                     | मुख्य चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर | स्वयं के व्यय<br>पर      |

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. कोई कर्मचारी संविदा अथवा परीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संघारित होने/अन्य प्रकरण संघारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आटासत होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फैंक्स के माध्यम से करें।

  
संचालक  
चिकित्सा सेवाएँ  
मध्यप्रदेश  
28/8/13

निरंतर .....

//2//

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/855

भोपाल दिनांक 27/8/2013

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
3. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
4. संचालक चिकित्सा सेवायें/स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
5. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए, इंदौर/उज्जैन मध्य प्रदेश।
6. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, इंदौर/झाबुआ/शाजापुर।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती 2013।

संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश  
26/8/13

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/

भोपाल दिनांक /8/2013

“आदेश”

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से श्रीमति प्रियंका सक्सेना स्टॉफ नर्स का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर निम्नानुसार किया जाता है -

| क्र. | नाम<br>कर्मचारी                | पद         | वर्तमान पदस्थापना<br>का स्थान | स्थानान्तरित स्थान का<br>नाम | स्थानान्तरण<br>का स्वरूप |
|------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1    | 2                              | 3          | 4                             | 5                            | 6                        |
| 1    | श्रीमति<br>प्रियंका<br>सक्सेना | स्टॉफ नर्स | जिला चिकि. छतरपुर             | जिला चिकि. देवास             | स्वयं के<br>व्यय पर      |

उपरोक्त कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा, इस हेतु कोई अवकाश मान्य नहीं होगा विशेष परिस्थितियों में संभागीय चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मान्य संभव होगा, एक सप्ताह पश्चात् स्थानान्तरित कर्मचारी का वेतन भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

1. यदि कोई कर्मचारी संविदा अथवा परिवीक्षा पर है, तो उसे किसी भी दशा में कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. संबंधित सी.एम.ओ./सी.एस./संस्था प्रमुख को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित स्थानान्तरित कर्मचारी को स्थानान्तरण स्थान पर रिक्त पद की जानकारी दूरभाष से भलीभांति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानान्तरित कर्मचारी को कार्यमुक्त करें। अन्यथा अतिशेष होने/न्यायालयीन प्रकरण संधारित होने/अन्य प्रकरण संधारित होने पर स्वतः ही जिम्मेवार माने जावेगे।
3. प्रत्येक कार्यमुक्ति आदेश में संबंधित कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड (जिससे उसका वेतन आहरित होता है) अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।
4. कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी भी सुनिश्चित करें कि स्थानान्तरण होकर आये कर्मचारी का यूनिक एम्प्लाय कोड कार्यमुक्ति आदेश में अंकित है।
5. जारी आदेश में किसी प्रकार का संदेह होने पर आदेश की पुष्टि इस कार्यालय से फ़ैक्स के माध्यम से करें।

संचालक  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश




//2//

पृकमांक/9/नर्सिंग/सेल-2/13/775

भोपाल दिनांक 01/8/2013

प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नेपी टीप क. 1484 दिनांक 17.7.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. निज सहायक माननीय राज्य मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (म.प्र.)
3. निज सहायक, संचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल (मध्यप्रदेश)
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश ।
5. संचालक चिकित्सा सेवायें/स्थानीय कार्यालय, भोपाल (म.प्र.) ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाए, सागर/उज्जैन मध्य प्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक, एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय, देवास/छतरपुर ।
9. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ ।
10. आदेश नरुती 2013 ।

  
संचालक 11/8/13  
चिकित्सा सेवायें  
मध्यप्रदेश